



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2671]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 10, 2016/कार्तिक 19, 1938

No. 2671]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 10, 2016/KARTIKA 19, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2016

का.आ. 3429(अ).—केंद्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 26 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 8 नवम्बर, 2016 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3408(अ), तारीख 8 नवम्बर, 2016 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त अधिसूचना के पैरा 1 के खंड (ढ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(ण) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों, जिसके अंतर्गत नगरपालिक और स्थानीय निकाय भी हैं, को संदेययोग्य कोई फीस, प्रभार, कर या शास्ति के मद्दे संदाय करने के लिए ;

(त) उपयोगिता प्रभारों, जिसके अंतर्गत जल और विद्युत भी हैं, का संदाय करने के लिए ।"

[फा. सं. 10/03/2016-सी.वाई.]

डॉ. सौरभ गर्ग, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3408(अ), तारीख 8 नवंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी और पश्चात्पूर्वी संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3416(अ), तारीख 9 नवंबर, 2016 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th November, 2016

S.O. 3429(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 26 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby further amends the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs number S.O. 3408(E) dated the 8th November, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 8th November, 2016:-

1. In the said notification, in paragraph 1, after clause (n), the following clauses shall be inserted, namely :-

“(o) for making payments towards any fees, charges, taxes or penalties, payable to the Central or State Governments including Municipal and local bodies;

(p) for making payments towards utility charges including water and electricity.”.

[F. No. 10/03/2016-Cy.I]

Dr. SAURABH GARG, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification under S.O. 3408(E) dated the 8th November, 2016 and subsequently amended *vide* notification under S.O. 3416(E) dated the 9th November, 2016.